



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

क्र/ ९ / ए.रे.स. / 2020-21

कांकेर, दिनांक 17/08/2020

=कार्यालय आदेश=

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का का पत्र क्रमांक/4896/1861/2016/38-2 नया रायपुर, दिनांक 09/10/2017 के अनुपालन में एन्टी रैगिंग के संबंध में दिए गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने एवं आवश्यक कार्यवाही के तहत अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। रैगिंग या अनुशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

स.क्र.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	प्रो. बी. समुंद	(संयोजक)	9826194297
2	डॉ. क्षमा ठाकुर	(सदस्य)	9826482394
3	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
4	पेमिका नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9754149436
5	निशा कुरेटी	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9340969104

B. Samuel
91C
91C
Govt. Indira Kanyasulkam Girls' College
महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.)
कांकेर, Distt. U. B. Kanker (C.G.)



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

क्र / ए / ए.रे.सी. / 2019-20

कांकेर, दिनांक 17/10/2019

=कार्यालय आदेश=

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर क का पत्र क्रमांक/4896/1861/2016/38-2 नया रायपुर, दिनांक 09/10/2017 व अनुपालन में एन्टी रैगिंग के संबंध में दिए गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने ए आवश्यक कार्यवाही के तहत अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है। इ समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। रैगिंग या अनुशासन से संबंधित किसी भी प्रकार व समस्या/शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

स.क्रं.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	प्रो. बी. समुंद	(संयोजक)	9826194297
2	डॉ. क्षमा ठाकुर	(सदस्य)	9826482394
3	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
4	पेमिका नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9754149436
5	निशा कुरेटी	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9340969104

B. Samund
700 (PRINCIPAL)
शासकीय इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
Govt. Indar Khatwa Girls' U
महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.)
Kanker, Distt. U. B. Kanker



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

क्र/ ९ / ए.रे.स. / 2018-19

कांकेर, दिनांक 15/09/2018

=कार्यालय आदेश=

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का का पत्र क्रमांक/4896/1861/2016/38-2 नया रायपुर, दिनांक 09/10/2017 के अनुपालन में एन्टी रैगिंग के संबंध में दिए गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने एवं आवश्यक कार्यवाही के तहत अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। रैगिंग या अनुशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

स.क्रं.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	प्रो. बी. समुंद	(संयोजक)	9826194297
2	डॉ. क्षमा ठाकुर	(सदस्य)	9826482394
3	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
4	पेमिका नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9754149436
5	निशा कुरेटी	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9340969104

B. Samund
(PRINCIPAL)
शासकीय इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)
Ganga-Indra Kankar Girls College
कांकेर, Distt. U. B. Kanker (C.G.)



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

क्र/०/ए.रे.स./2017-18

कांकेर, दिनांक 07/08/2017

=कार्यालय आदेश=

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का का पत्र क्रमांक/4896/1861/2016/38-2 नया रायपुर, दिनांक 09/10/2017 के अनुपालन में एन्टी रैगिंग के संबंध में दिए गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने एवं आवश्यक कार्यवाही के तहत अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। रैगिंग या अनुशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

स.क्रं.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	प्रो. बी. समुंद	(संयोजक)	9826194297
2	डॉ. क्षमा ठाकुर	(सदस्य)	9826482394
3	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
4	पेमिका नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9754149436
5	निशा कुरेटी	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9340969104

B. Samund
(प्राचार्य)

शासकीय इन्दरू केंवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)
Govt. Indru Kenwat Girls College
Kanker, Distt. U. B. Kanker (C.G.)



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

दिनांक : 13/11/2016

=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालीन स्टॉफ, आंतरिक समन्वय समिति के सदस्य, विशेषकर महिला सदस्य, कर्मचारी एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) के तहत महाविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक समन्वय समिति की बैठक दिनांक 16/11/2016, दिन बुधवार, समय दोपहर 02 बजे से कक्ष क्रं. -06 में रखा गया है। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने या सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकती है।

B. Samudh - B. Samudh

Devi Kshama Thakur - Devi Kshama Thakur

Smt - R. K. Gadpale

B. Samudh

ds

Principal
Govt. Indira Kankar
शास. इन्दरू कैंवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggekknk.in/> Mail Id - ggekanker@gmail.com

दिनांक : 05/12/2017


=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालीन स्टॉफ, आंतरिक समन्वय समिति के सदस्य, विशेषकर महिला सदस्य, कर्मचारी एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) के तहत महाविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक समन्वय समिति की बैठक दिनांक 08/12/2017, दिन शुक्रवार, समय दोपहर 02 बजे से कक्ष क्रं. -07 में रखा गया है। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने या सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकती है।

Brand
de

Dr. Kshama Thakur - Thakur
Smt. R. K. Guddale - Gudale

de


PRINCIPAL
Govt. Institute Kanwar
Shaheed College Kanwar
Distt. U. B. Kanwar (U.P.)
महाविद्यालय कांकेर (छ0ग0)



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)


AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

दिनांक : 17/12/2018

=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालीन स्टॉफ, आंतरिक समन्वय समिति के सदस्य, विशेषकर महिला सदस्य, कर्मचारी एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) के तहत महाविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक समन्वय समिति की बैठक दिनांक 19/12/2018, दिन बुधवार, समय दोपहर 02 बजे से कक्ष क्रं. -07 में रखा गया है। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने या सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकती है।


(प्राचार्य)
शासकीय इन्दरू केंवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)
Distt. U. B. Kanker (CGO)


Smt R.K. Gadpale 

Dr. Shama Thakur 





कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

दिनांक : 18/12/2019

=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालीन स्टॉफ, आंतरिक समन्वय समिति के सदस्य, विशेषकर महिला सदस्य, कर्मचारी एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) के तहत महाविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21/12/2019, दिन शनिवार, समय दोपहर 02 बजे से कक्ष क्रं. -07 में रखा गया है। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने या सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकती है।

B

Smt. R-K. Guclizale

Mr. Kshama Thakur

PRINCIPAL
Govt. Indira Kewat
Girls' College Nanker
Dist. U.P. B. Kanker कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ0ग0)



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्द्ररु केवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

दिनांक : 15/11/2020

=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालीन स्टॉफ, आंतरिक समन्वय समिति के सदस्य, विशेषकर महिला सदस्य, कर्मचारी एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) के तहत महाविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17/11/2020, दिन मंगलवार, समय दोपहर 02 बजे से कक्ष क्रं.-07 में रखा गया है। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने या सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकती है।

Rg

SA - R.K. Gudpale -

PRINCIPAL
Govt. Indraraj Kenwat
शास. इन्द्ररु केवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकर
जिला-उत्तर बस्तर कांकर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

क्र/398/म.लै.उ.स./2016-17


कांकर, दिनांक 07/11/2016

=कार्यालय आदेश=

आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/519/173/आउशि/समन्वय/15 रायपुर, दिनांक 07/12/2015 के अनुपालन में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक समन्वय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर ऑनलाइन/ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

स.क्र.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	डॉ. दीपाली राव	(संयोजक)	9993234581
2	डॉ. क्षमा ठाकुर	(सदस्य)	9826482394
3	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
4	श्रीमती रीना लारीया	(सदस्य) (जिला बाल संरक्षण अधिकारी)	9575514000
5	नीता नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7354266735
6	दीपिका यादव	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7999696768


PRINCIPAL
Govt. Indira Kenwat
College of Education
Kanker (C.G.)
महाविद्यालय कांकर (छ.ग.)


संयोजक
आंतरिक समन्वय समिति



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com


क्र 1475/ म.ले.उ.स./ 2017-18


कांकेर, दिनांक 26/11/2017

=कार्यालय आदेश=

आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/519/173/आउशि/समन्वय/15 रायपुर, दिनांक 07/12/2015 के अनुपालन में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक समन्वय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर ऑनलाइन/ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

स.क्रं.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	डॉ. क्षमा ठाकुर	(संयोजक)	9826482394
2	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
3	श्रीमती रीना लारीया	(सदस्य) (जिला बाल संरक्षण अधिकारी)	9575514000
4	नीता नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7354266735
5	कीर्ति कुंजाम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7828393337


for (प्राचार्य)
PRINCIPAL
शासकीय इन्दरू कैंवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)
Kanker, Distt. U. B. Kanker (C.G.)


संयोजक
आंतरिक समन्वय समिति



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckkanker@gmail.com


क्र/१०९/म.लै.उ.स./2018-19


कांकेर, दिनांक 03/12/2018

=कार्यालय आदेश=

आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/519/173/आउशि/समन्वय/15 रायपुर, दिनांक 07/12/2015 के अनुपालन में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक समन्वय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर ऑनलाइन/ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

स.क्रं.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	डॉ. क्षमा ठाकुर	(संयोजक)	9826482394
2	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
3	श्रीमती रीना लारीया	(सदस्य) (जिला बाल संरक्षण अधिकारी)	9575514000
4	नीता नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7354266735
5	कीर्ति कुंजाम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7828393337


(प्राचार्य)
शासकीय इन्दरू कैंवट कन्या
महाविद्यालय
Govt. Indaru-Kankar Girls College
Kanker, Distt. U. B. Kanker (C.G.)


संयोजक
आंतरिक समन्वय समिति



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 21967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com


क्र/११५/म.ले.उ.स./2019-20


कांकेर, दिनांक १/12/2019

=कार्यालय आदेश=

आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/519/173/आउशि/समन्वय/15 रायपुर, दिनांक 07/12/2015 के अनुपालन में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक समन्वय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर ऑनलाइन/ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

स.क्र.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	डॉ. क्षमा ठाकुर	(संयोजक)	9826482394
2	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
3	श्रीमती रीना लारीया	(सदस्य) (जिला बाल संरक्षण अधिकारी)	9575514000
4	नीता नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7354266735
5	कीर्ति कुंजाम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7828393337


Principal
शासकीय इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय
Govt. Indru Kankar Girls College
Kanker, Distt. U. B. Kanker (C.G.)


संयोजक
आंतरिक समन्वय समिति



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

क्र/1098/म.लै.उ.स./2020-21

कांकेर, दिनांक 06/11/2020

=कार्यालय आदेश=

आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/519/173/आउशि/समन्वय/15 रायपुर, दिनांक 07/12/2015 के अनुपालन में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक समन्वय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। महाविद्यालय की महिला कर्मचारी एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर ऑनलाइन/ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

स.क्र.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	डॉ. क्षमा ठाकुर	(संयोजक)	9826482394
2	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
3	श्रीमती रीना लारीया	(सदस्य) (जिला बाल संरक्षण अधिकारी)	9575514000
4	नीता नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7354266735
5	कीर्ति कुंजाम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	7828393337

Prasad
719 (प्राचार्य)
शासकीय इन्दरू कैंवट
महाविद्यालय, कांकेर
Govt. Indru Kanwat Girls College
Kanker, Distt. U. B. Kanker (C.G.)

Prasad
संयोजक
आंतरिक समन्वय समिति

-: वचन - पत्र :-

मैं पुष्पा सिन्हा पिता/माता श्रीमती सातो देवी
कक्षा एम.ए. विभाग/छात्रावास
घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूंगा/रहूंगी। मुझे रैगिंग के सदर्थ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया जाता/पायी जाती हूँ, तो मैं दण्ड का भी भागी रहूंगा/रहूंगी।

पु. पुष्पा सिन्हा
छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजाएं ज्ञात है यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी प्रकरण में लिप्त पाया/पायी जाती है तो उसको दी जाने वाली सजा में सहमत रहूंगा/रहूंगी।

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नहीं पाये गये तो छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

कक्षा :- छात्र का नाम कु. पिता श्री

मैं निम्नांकित निर्देशों का पालन करूंगी :-

- मैं नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रह कर 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण कर लूंगी।
- रैगिंग कार्य से अलग रहूंगी।
- मासिक परीक्षाओं में उपस्थित रहूंगी।
- अनुशासन में रहूंगी।
- मोबाइल का अनावश्यक उपयोग महाविद्यालय में नहीं करूंगी।
- सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद आदि स्पर्धाओं के आयोजन में उपस्थित रहूंगी। एवं मेरी सहभागीता रहेगी।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पता

- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulation and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

कक्षा :- छात्र का नाम कु. पिता श्री

मैं निम्नांकित निर्देशों का पालन करूंगी :-

- मैं नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रह कर 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण कर लूंगी।
- रैगिंग कार्य से अलग रहूंगी।
- मासिक परीक्षाओं में उपस्थित रहूंगी।
- अनुशासन में रहूंगी।
- मोबाइल का अनावश्यक उपयोग महाविद्यालय में नहीं करूंगी।
- सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद आदि स्पर्धाओं के आयोजन में उपस्थित रहूंगी। एवं मेरी सहभागीता रहेगी।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर

नाम
पता

- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulation and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

1177
DATE 28.1.17

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक/27657मबावि/नवा बिहान/2016-17
प्रति,

कांकेर, दिनांक 29/01/2017

समस्त, विभाग प्रमुख पंचायत शासकीय इंदर कुंतल कन्या
जिला उत्तर बस्तर कांकेर महाविद्यालय कांकेर


विषय :- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष)
अधिनियम 2013(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन एवं वार्षिक प्रतिवेदन वाचत।

--:000:--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र अनुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग में प्राप्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है । दिनांक 01.12.2016 को आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को इस संबंध में अवगत कराया गया है ।

अतः आपके विभाग अन्तर्गत प्राप्त समस्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को, तीन दिवस के भीतर अवगत कराने का कष्ट करेंगे ताकि शासन को वार्षिक प्रतिवेदन भेजा जा सके ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
उत्तर बस्तर कांकेर

(27657)
विभाग प्रमुख का कार्यवाही उपस्थित
दिनांक 28/1/17
Be...

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय इंटर क्वेट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

फोन नम्बर :- 07868-223904, फेक्स - 07868-223904 Email.Id- ggckanker@gmail.com

क्रमांक / 511 /स्था /2018

कांकेर दिनांक 18/01/2018

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास
उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)।

विषय :- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और
प्रतिषेध) अधिनियम 2013(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन एवं वार्षिक
प्रतिवेदन वावत्।

संदर्भ :- क्रमांक / 1624 /मवावि /नव बिहान /2017-18 कांकेर,दिनांक 06.01.2018

==00==

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक
उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतिषेध) अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) का
क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग द्वारा प्राप्त प्रकरणों के संबंध में चाहे गई जानकारी
संलग्न प्रपत्र में तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है।

19/01/18


(डॉ० रश्मि सिंह)


प्राचार्य,
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ0ग0)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय इंटरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
 जिला - उत्तर वस्तर कांकेर (छ0ग0)
 फोन नम्बर :- 07868-223904, फेक्स - 07868-223904 Email.Id- gggekanker@gmail.com

नहिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013(2013
 की संख्या 14) का क्रियान्वयन एवं वार्षिक प्रतिवेदन

क्र.	वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निराकरण किया गया	ऐसा मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है।	लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	नियोजना या समिति द्वारा क गई कार्यवाही का स्वरूप
1	2	3	4	5	6

—निरंक—


 (डॉ0 रश्मि सिंह)
 प्राचार्य

शासकीय कन्या महाविद्यालय
 कांकेर (छ0ग0)

कार्यालय प्राचार्य, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

फोन : 07868- 222028 (का.), 07868- 222405 (नि), फैक्स : 07868-224487

Email : govtpgcollegekanker@gmail.com

क्रमांक/ 1318 /प्रा.क./2015

कांकेर, दिनांक- 12/12/2015

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर,
शासकीय महाविद्यालय चारामा, अन्तागढ़,
दुर्गकोन्दल, पखांजूर, सरोना, भानुप्रतापपुर,
नरहरपुर



विषय:- छत्तीसगढ़ में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु।

संदर्भ:- महिला एवं बाल विकास विभाग छ.ग. से प्राप्त पत्र क्र./5218/म.बा.वि.सा.वि./15-16
दिनांक 03.11.2015 ।

संदर्भ:- आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र./519/173/आजशि/समन्वय/15 रायपुर, दिनांक 07.12.2015 ।

— 00 —

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवगत हो कि, महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं की समस्याएं एवं सुरक्षा हेतु महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है ? तत् संबंधित पालन प्रतिवेदन समेकित जानकारी शासन को उपलब्ध कराना है।

अतः महाविद्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही से अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराये।

(डॉ.आर.के.हिरकने)
प्रभारी प्राचार्य

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

पृ.क्र./
प्रतिलिपि:-

/प्रा.क./2015

कांकेर, दिनांक 12/12/2015

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. स्थापना शाखा को सूचनार्थ।

(डॉ.आर.के.हिरकने)

प्रभारी प्राचार्य

भा.प्र.देव शास.स्नातको.महावि.
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

प्रति,

प्राचार्य,
भानुप्रतापदेव शास स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कांकेर।

विषय:- छत्तीसगढ़ में छात्राओं के लिये संचालित महाविद्यालय में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु।
संदर्भ:- 1. महिला एवं बाल विकास विभाग छ0ग0 से प्राप्त पत्र क्रं./5218/म.बा.वि. सा.वि./15-16
2. आयुक्त कार्यालयाभ्युक्त पत्र क्रं./519/173/आउशि/समन्वय/15 रायपुर, दिनांक 07.12.2015

==00==

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिये जानकारी प्रेषित है:-


1. महाविद्यालय में सुरक्षित बाउन्ड्रीवाल है।
2. सीसी केमरे लगाये गये है।
3. छात्राओं के हित के लिये असंबद्ध लोगों का प्रवेश वर्जित है क्रे फ्लेक्स लगाये गये है।
4. शिकायत बॉक्स रखा गया है।
5. रैंगिंग से संबंधित फ्लेक्स लगाये गये है। उसमें संबंधित टेलीफोन नंबर दिये गये है।
6. महिला उत्पीड़न समिति का गठन महाविद्यालय में 2 वर्षों से किया गया है।



(डॉ रश्मि सिंह)
प्राचार्य

शासकीय इंदरू कैंवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ0ग0)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक / 993 / 25 / आउशि / सम / 2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक / 10 / 2017

3/11/2017

1. कुल सचिव,
समस्त निजी / राजकीय विश्वविद्यालय,
छ.ग. ।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एन्टी रैगिंग के संबंध में दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन करने संबंधी ।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 4896 / 1861 / 2016 / 38-2 दिनांक 09.10.2017

—00—

उपर्युक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. अरुण सिंह)

उप संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक / 10 / 2017

पृ.क्रमांक / / / आउशि / समन्वय / 2017

प्रतिलिपि:-

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को उनके संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनाार्थ प्रेषित ।

उप संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

डॉ. संजय
सहा. जा.
3/11/17

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

No.: 1-2017..... 22-... 1690...
AD (R.) / JD (K) / DD
Section
Date 0 OCT 2017 C.H.E.

क्रमांक 4896/1861/2016/38-2
प्रति.

नया रायपुर, दिनांक 07/10/2017

✓ आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

विषय :- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एन्टी रैगिंग के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने संबंधी।


संदर्भ :- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली का डी.ओ. लेटर नं. 16-1/2017-US(Vol.-II) दिनांक 14.09.2017.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एन्टी रैगिंग के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना एवं उस पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है।

उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कृपया सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को एन्टी रैगिंग के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित कर, विभाग को अवगत कराएं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(नलिनी माथुर)
अवर सचिव,

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय


नया रायपुर, दिनांक /10/2017

पृ.क्र /1861/2016/38-2
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छ.ग., उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. श्री एस.शंकर, उप सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के डी.ओ. लेटर नं. 16-1/2017-US (Vol.-II) दिनांक 14.09.2017 के अनुपालन में।
4. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. कुलसचिव, समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छ.ग.,
6. प्राचार्य, समस्त शास./निजी महाविद्यालय, छ.ग.
7. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
Indian Council of Agricultural Research
कृषि शिक्षा विभाग
(Agricultural Education Division)

कृषि अनुसंधान भवन II, पुसा, नई दिल्ली - 110012
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

F. No. Ag. Edn. 19-1/2017-A&P

Dated the 6th October, 2017

To

The Vice Chancellors,
SAUs/CAUs/ICAR-DUs/Central
Universities with Agriculture faculty
(as per list enclosed)

Subject : Anti-ragging measures - reg.

Sir/Madam,

The Agricultural Education Division of the ICAR is in receipt of letter No. 16-1/2017-U.5 (Vol II) dated 14th September, 2017 from the Ministry of Human Resource Development (MHRD) on the subject cited above. The MHRD has stressed that all Universities are/have to be recognized by the UGC including SAUs and all of them have to follow the directives of Hon'ble Supreme Court, UGC and ICAR on the issue of anti-ragging. It is further informed that ragging is a national subject and it has to be monitored strictly and stringently and prevent ragging, come what may.

Besides, the MHRD has also suggested to link the grants/aids to the universities with the implementation of anti-ragging Regulations by the SAUs. A copy of the MHRD letter is enclosed herewith for reference and strict compliance. The Action Taken Report (ATR) in this regard may be provided to the MHRD as well as ICAR.


This issues with the approval of DDG(Ag. Edn.).

Yours faithfully,

Sanjeev Kumar
(Sanjeev Kumar)
Section Officer(A&P)

Copy to :

1. Chief Secretaries of all the State Governments for issuing necessary directions in this regard.
2. The ADG(EPHS) for including the issue of anti-ragging measures in the agenda items for the next Vice Chancellors Conference. Besides, possibilities to link the implementation of Anti-ragging measures with grants may also be explored, as suggested by the MHRD.
3. Dy. Secy.(HE), HRD, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi- 110115.



रूचना का अधिकार

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI-110 115

57

S. Shankar
Deputy Secretary (HE),
Tel No. 011-23382921
Mob. 9891534132
E-mail: vjshankars@gmail.com

D. O. No. 1.6-1/2012-05 (Vol-II)

14th September, 2017

Dear Shri Sanjeev Kumar,

Please refer to your Letter F. No. Ag. Edn. 19-1/2017-A&P (Vol. II) dated 11.8.2017 regarding Anti-ragging. Please note that all Universities are/have to be recognized by the University Grants Commission, including State Agriculture Universities, and all of them have to follow Supreme Court directions, UGC's directions and your directions on Anti-ragging. Ragging is a National subject and we cannot simply leave it to State Agriculture University. You have to monitor strictly and stringently and prevent ragging, come what may.

2. You may also be giving grants and some aid and help as also guidance to the State Agriculture University. Naturally any grant should be subject to scrupulously following all Anti-ragging Regulations by SAUs. Kindly hold a dialogue with all Universities on Anti-ragging. Kindly also implement Psychology Report, including engagement of Counsellors. Kindly also do Anti-ragging Media Campaigning. Kindly also give due publicity about Anti-ragging helpline, Websites, Call Centre, Mobile Application, Regulations, Psychology Report, use of Media-kits of UGC (www.ugc.ac.in), etc. Kindly also ensure CCTV Cameras in every nook and corner.

3. Therefore, I request you to own the task of Anti-ragging in the interest of all Students/Parents as also society. Kindly also ensure Anti-ragging Cells please.

With regards,

Yours sincerely,


May also see please.
29/9/17

S. Shankar
(S. Shankar)

14/9/17

Shri Sanjeev Kumar,
Section Officer (Agriculture Education),
Indian Council of Agricultural Research,
Agricultural Education Division,
Krishi Anusandhan Bhawan -II, Pusa,
New Delhi -110012.

DS (A. Edn.)



No. 1.6-1/2012-05 (Vol-II)
Date: 29/9/17



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

दिनांक : 21/12/2017

=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालयीन स्टॉफ, अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति व समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय/अध्ययनशालाओं में एन्टी रैगिंग के संबंध में यू.जी.सी. उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन संबंधी गठित अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति की बैठक दिनांक 23/12/2017, दिन शनिवार को कक्ष क्रमांक - 04 में दोपहर 01 बजे से रखा गया है। महाविद्यालय के स्टाफ एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने एवं सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।

BSc and

Dr. Kshama Thakur - *(Signature)*

(Signature)

(Signature)

(Signature)
PRINCIPAL
शासकीय इन्दरू कैंवट कन्या
Govt. College Kanker
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)
Distt. U. B. Kanker (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckkanker@gmail.com

दिनांक : 14/09/2018

=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालीन स्टॉफ, अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति व समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय/अध्ययनशालाओं में एन्टी रैगिंग के संबंध में यू.जी.सी. उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन संबंधी गठित अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति की बैठक दिनांक 17/09/2018, दिन सोमवार को कक्ष क्रमांक - 04 में दोपहर 01 बजे से रखा गया है। महाविद्यालय के स्टाफ एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने एवं सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।

PRINCIPAL
शास. इन्दरू केंवट कन्या
Girls College Kanpur
Dist. G. B. Pant (U.P.)

Signature: - Dr. Kshama Thakur



कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू कैंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckanker@gmail.com

दिनांक : 12/10/2019

=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालीन स्टॉफ, अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति व समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय/अध्ययनशालाओं में एन्टी रैगिंग के संबंध में यू.जी.सी. उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन संबंधी गठित अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति की बैठक दिनांक 14/10/2019, दिन सोमवार को कक्ष क्रमांक - 04 में दोपहर 01 बजे से रखा गया है। महाविद्यालय के स्टाफ एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने एवं सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।

डा. शमा शर्मा -

PRINCIPAL
शास. इन्दरू कैंवट
Girls' College, Kanker
Dist. U. B. (C.G.)



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर

जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

Website - <http://ggcknk.in/> Mail Id - ggckkanker@gmail.com

Grievance Redressal Committee:

This committee has been constituted by the College as per the UGC notification published in the Gazette on 23rd March 2013. It is compulsory for every higher educational institute to have the Grievance Redressal Committee. The College has made the provision to receive and attend various grievances of students online through college website portal ggcknk.in

The committee ensures that there is a timely and prompt response on all the grievances of the students received through the mail: grievance@ggcknk.in of the College.

Prof. B.Samund	Convener	Assistant Professor	Department of History
Dr. R.P.Tandon	Member	Assistant Professor	Department of Hindi
(SC/ ST Representative)			
Prof. Sunil Sahu	Member	Assistant Professor	Department of English
(OBC Representative)			
Dr. Kshama Thakur	Member	Librarian	Library Science
Shri M.S. Yadav	Member	Asstt Gdade -II	Office Staff

Students can submit their grievances in UGC portal also <https://ugc.ac.in/grievance>

Beaud
91c PRINCIPAL
Govt. Indira Kanker
Girl's College Kanker
Distt. U. B. Kanker (C.G.)



महिलाओं का कारस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिकार) के तहत आंतरिक समन्वय समिति की वार्षिक बैठक कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि महिलाओं का कारस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिकार) अधिनियम 2013 के धारा 4 के प्रावधान अनुसार आंतरिक क्षमता समन्वय समिति की बैठक समिति के संयोजक डॉ. दीपाली राव एवं सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 16-11-2016 को सम्पन्न हुई। इस बैठक में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु निम्न सूची पर चर्चा की गई एवं प्राचीन पारित किया गया।

- 1) महाविद्यालय में सुरक्षित बाड़न्दीवालों की व्यवस्था हो
- 2) महाविद्यालय में सीसी टी.वी. ऊँचे की व्यवस्था हो
- 3) महाविद्यालय में असंबद्ध लोगों का प्रवेश वर्जित
- 4) शिकायत व निवारण हेतु फ्लैक्स लगे हो
- 5) शिकायत वाकफ रखा जाय
- 6) रैंगिंग से संबंधित फ्लैक्स प्रदर्शित हो
- 7) मोबाइल नम्बर एम.एस/ईमेल/महाविद्यालय के द्वारा बोर्ड पर प्रदर्शित हो
- 8) सतत निगरानी व्यवस्था हो
- 9) हेल्प डेस्क की सुविधा हो
- 10) लैंगिंग उत्पीड़न के निरुद्ध क्रियान्वित कार्यशाळाओं या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो
- 11) सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आयोजित हो
- 12) गुड टच - बेउटच की जानकारी दी जाये


- (13) महिलाओं के अधिकार एवं कानून संबंधी जागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं।
- (14) गर्ल कमन रूम की व्यवस्था हो


स्त्रियों की तरफ से किसी प्रकार की हिंसा / मॉरिबुड शिकायत सामने नहीं आई।


समिति


हस्ताक्षर


① कु. डा. दीपाली राव (संयोजक) 9993234501


② डा. शमा ठाकुर (सदस्य) 
मो. नं. 9826482394

③ श्रीमती राजकुमारी गवपाले (सदस्य) 
94242 95027

④ श्रीमती रीना लारिया (सदस्य) 
(निसर्ग बाल संरक्षण अधिकारी)

⑤ कु. नीला नेगम (सदस्य) 
73542 66735

⑥ डीविडा यादव (सदस्य) 
छात्रा प्रतिनिधि 79996-96768


PRINCIPAL
Govt. Indara Kenwel
Girl's College Kanber
Distt. U. B. Kanber (C.O.)

लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिरोध)
समिति Year - 2017

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध एवं प्रतिरोध अधिनियम 13 (2013 की संख्या 14) के तहत महाविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक समन्वयन समिति की बैठक समिति के संयोजक डा. कामा ठाकुर एवं सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में डिमांड नं. 12- 2017 दिन शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में महिलाओं एवं छात्राओं की सुझाव एवं संरक्षण हेतु निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई एवं सकारात्मक पारित किया गया।

- 1) पूरे महाविद्यालय में सीसीटीवी. कमरे की व्यवस्था हो
- 2) सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग छात्राओं की की जानी चाहिए
- 3) लैंगिंग उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यशालाओं एवं जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित
- 4) महाविद्यालय में शिकायत शक्ति बढ़ाया जाय
- 5) मातृवृद्ध लोगों का प्रवेश वर्जित हो
- 6) रसत निगरानी की व्यवस्था हो
- 7) गर्ल कामन रूम की व्यवस्था हो

8

समिति

हालाशर

1) डॉ. शमा ठाकुर (संयोजक)
मो. 98264 82394

Shama

2) शिमली राजकुमारी गढ़पाले (सदस्य)
94242 95027

Shimla

3) शिमली रीना लरिया (सहाय)
(मि. बाल संरक्षण अधिकारी)
मो. 95755 74000

Reena

4) नीता नेहाम (सदस्य)
प्रतिनिधि छात्रा
73642 66735

Neeta

5) वीरि कुजाम सदस्य
प्रतिनिधि छात्रा
78283 93337






Veeri

PRINCIPAL
Govt. Indara Kankar
Girls' College Kankeer
Distt. U. B. Kanker (C.O.)

लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिक्रिया)


समिति सत्र - 2017-18


कार्यालय कुलेक्टर (महिला एवं बाल विकास)
उ.ब. कांफेर आदेश क्र 1624/मबावि/नकाविष्ठ
कांफेर दिनांक 06.01.2018 के तहत महिलाओं
का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण
प्रतिबंध और प्रतिक्रिया) अधिनियम-2013
(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन
है। महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक समन्वय
समिति का गठन दिनांक 09/01/18 को
किया गया। समिति द्वारा किसी भी प्रकार
की समस्या होने पर महिलाएँ एवं छात्राएँ
आनलाइन एवं ऑफलाइन या अन्य माध्यम
संपर्क करने का निर्णय लिया गया।


- 1) डॉ. शमा ठाकुर (संयोजक) 
- 2) श्रीमती राजकुमारी गच्छले (सदस्य) 
- 3) श्रीमती रीना लारिया (सदस्य) 
- 4) डॉ. नीता नेवाम (सदस्य) 
- 5) डॉ. कीर्ति कुंजाम (सदस्य) 


महिलाओं का कारखाने पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिरोध) अधिनियम 2013 (2013 की सं. 14) का क्रियान्वयन हेतु - सांख्यिक समन्वयन समिति की बैठक समिति के संयोजक डॉ. शर्मा ठाढ़र एवं सदस्यों की कार्यवाही में दिनांक 21 दिसंबर 2019 को शनिवार सम्पन्न हुई। इस बैठक निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई।


- 1) महिलाओं एवं दंपतीयों को लैंगिक उत्पीड़न गुट रचें एवं बेड रचें की जानकारी कारखानों में की जानी चाहिए।
- 2) शिकायत माने पर तुरंत निवारण या कार्यवाही हो।
- 3) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध दंपतीयों को सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी जाए।
- 4) लैंगिक उत्पीड़न संबंधित शिकायतों को लिए शिकायत पेट्री महाविद्यालय में लगायी जाये।
- 5) सी-सी कमरा होना चाहिए।
- 6) महिलाओं के अधिकार एवं कानून संबंधी जानकारी की जानी चाहिए।
- 7) दंपतीयों को मान लाइव या माफ लाइव शिकायत समिति के सदस्यों के पास करने पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए।

1) डी. शमा गड्डर (संयोजक) - 

2) श्रीमती राजकुमारी गडपळे (सदस्य) 

3) श्रीमती बीना लारिया (सदस्य) 

4) ~~ड. कुं नीला नेगम (सदस्य)~~
द्वारा प्रतिनिधि  Neela



PRINCIPAL
Govt. Indira Kankar
Girls' College Kankar
Distt. U. B. Kankar (C.O.)

महिलाओं का कार्यशाला पर लैंगिक उत्पीड़न (नियारण प्रतिबंध और प्रतिरोध के तहत सत्र 2019-20 में वार्षिक बैठक की कार्यवाही

विषयान्तर्गत महिलाओं का कार्यक्रम पर लैंगिक उत्पीड़न (नियारण प्रतिबंध और प्रतिरोध अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 17.9.2020 को निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की गई।

- 1) गर्ल कमन रूम की व्यवस्था हो।
- 2) शिवायत वाच 22वां जाय।
- 3) समय समय पर सेल्फ डिफेंस से संबंधित ट्रेनिंग की जाय।
- 4) गुरु टच बेड टच के बारे में छात्राओं को जानकारी की जानी चाहिए।
- 5) आंबेडकर व्यक्तियों को महाविद्यालय में प्रवेश निषेध हो।

1. समिति

- 1) डॉ. शमा गड्डर (संयोजक)
- 2) गीमती राजकुमारी गडपाले (सहाय)
- 3) कुं प्रीति पटेल सहाय्यत्री (सदस्य)
- 4) कु. नीला नेलाम (सदस्य)
- 5) श्री कुजाम (सदस्य)






PRINCIPAL
Govt. Indira Kanwar
Girl's College Kanwar
Dist. U.P. Kanwar (G.C.)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रविधेय और प्रतिबोध) के तहत सूत्र 2020-21 में पारित बिल की कार्यवाही

उपरोक्त विधायनगत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रविधेय एवं प्रतिबोध) के तहत महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध दिनांक 12-11-20 को कार्यवाही हेतु निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

- 1) महाविद्यालय में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए
- 2) संबंध व्यक्तियों का प्रवेश निषेध हो
- 3) शिकायत बाक्स रखा जाय।
- 4) शिकायत होने पर तुरंत कार्यवाही की जाय

क. समिति

- 1) डॉ. शमा ठाकुर 
- 2) श्रीमती राजकुमारी गढ़पाले 
- 3) सुश्रीमती पटेल 
- 4) कु.नीला नेताम (घाघा प्रतिनिधि) 
- 5) कु. सीता कुंजाम (घाघा प्रतिनिधि) 

अनुशासन एवं स्त्री रैगिंग समिति बैठक कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय / अध्ययनशालाओं में स्त्री रैगिंग के संबंध में यू.जी.सी. उच्चतम न्यायालय तथा क्वींसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किये जाने के अनुपालन में गणित अनुशासन एवं स्त्री रैगिंग समिति की बैठक दिनांक 23/02/2018 को संयोजक प्रो. बी. समुद्र की अध्यक्षता एवं संभालित समस्याओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई एवं प्रस्ताव पारित किया गया आवश्यक सुझाव दिया गया।

- ① महाविद्यालय के पूरे परिसर में सीसीटीवी. सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था।
- ② अलार्म बेल्ट की व्यवस्था सुनिश्चित हो-
- ③ विवन रिस्पॉन्स सिस्टम के लक्ष्य कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ④ स्त्री रैगिंग सम्बाधक का गठन किया गया है।

- 5) रिक्रूटिंग इंटरव्यू के माध्यम से कौशल विकास की सुविधा।
- 6) फ्लॉयड व बेंडर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा।
- 7) महाविद्यालय के प्रालिखित रूप में शिक्षा के समर्थ रूढ़ी रेगिंग के संबंध में विचार से चर्चा की जाये।
- 8) रेगिंग में लिखित छात्रों शिफ्ट पर त्वरित कार्यवाही पर टूट का प्रावधान सुनिश्चित हो।
- 9) मोबाइल / एमएसएमएस / ईमेल के माध्यम से त्वरित शिकायत की सुविधा
- 10) नेशनल रूढ़ी रेगिंग हेल्पलाइन - नं. 1800-180-5522 की कोड / इस्लाक प्रदर्शित।
- 11) वेबसाइट के माध्यम से जानकारी - www.rajasthan.gov.in
- 12) आपातकालीन क्रियान्वयन में संपर्क हेतु - महाविद्यालय का मोबाइल नं. 982646239
- 13) रूढ़ी रेगिंग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम / प्रतियोगिता आयोजित की जाये।
- 14) हेल्प डेस्क की स्थापना हो।
- 15) शिकायत वामन की थपक्या हो।

संज दिनांक को आयोजित बैठक में
अनुशासन एवं सैनिक से संबंधित किसी
भी प्रकार की समस्या या शिकायत (विशेष
या मौखिक) रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

① प्रो. वी. राममुठ (संयोजक) Beard

② डॉ. हनुमा ठाकुर (सदस्य) — Am

③ श्रीमति राजकुमारी गणपति (सदस्य)

④ पैमिठा नैतक्य (सदस्य) pemta
छात्रा प्रतिनिधि

⑤ निशा कुंरेशी (सदस्य) ni am
छात्रा प्रतिनिधि

प्रिंसिपल
PRINCIPAL
Govt. Indara Kanwar
Girls' College Kanwar
Distt. U. B. Kanwar (C.O.)

~~अनुशासन~~ अनुशासन एवं शस्त्री रेगिंग
समिति बैठक कार्यवाही -

प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय
अध्ययनशालाओं में शस्त्री रेगिंग के संबंध
में यू.जी.सी. उच्चतम विद्यालय तथा
कलीसंगठ शालन द्वारा जारी निर्देशों
का रिकॉर्ड से पालन किये जाने के अनुपालन
में गठित अनुशासन एवं शस्त्री रेगिंग
समिति की बैठक दिनांक- 17/07/2018
सोमवार को संयोजक प्रो. बी. संभुद की
अध्यक्षता एवं सम्मानित सदस्यों की
उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इन बैठक के
निष्पत्तियों पर चर्चा हुई एवं प्रस्ताव
पारित किया गया। आवश्यक सुझाव
दिया गया।

- 1) महाविद्यालय के पूरे परिसर में सीसीटीवी की
सुविधा की प्रारंभिक व्यवस्था।
- 2) अलायन वेब्स की व्यवस्था सुनिश्चित है।
- 3) निवन रिकॉर्ड निरन्तर के लक्ष्य कार्यवाही
सुनिश्चित करना।
- 4) शस्त्री रेगिंग स्ववायुद का गठन किया गया है।
- 5) रेगुलर इंटरवेंशन एवं काउंसिलिंग की
सुविधा।

- 6) फ्लोरस व बेनर के माध्यम से प्रचार -
- 7) महाविद्यालय के प्राप्तिपत्र रूप रजिगेशन के समय रखी-रेंजिंग के संवर्ध में विस्तार से चर्चा की जाये।
- 8) रेंजिंग में लिखित छात्राभि / रॉफु पर लवरिल कार्यवाही पर 205 का प्रावधान सुनिश्चित है।
- 9) मोबाइल / इलरुमरुल / ईमेल के माध्यम से लवरिल शिक्षण की सुविधा।
- 10) नेशनल रूरी रेंजिंग हेल्थवाइन नं - 1800-180-5522 की वेब/वॉलफेज.
- 11) वेबसाइट के माध्यम से जानकारी - www.amhravva.in
- 12) आपातकालीन स्थिति में संपर्क हेतु महा. - विद्यालय का मो. नं. 9826482394 उपलब्ध
- 13) रूरी रेंजिंग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम / प्रतियोगिता आयोजित की जाये।
- 14) हेल्थ डेस्क की स्थापना है।
- 15) शिक्षण वासन की व्यवस्था है।

आज दिनांक को आयोजित वेक में अनुशासन रूप रेंजिंग से संबंधित क्री की प्रकार की समस्या या शिक्षण निहित या मोरिबे उपल प्राप्त नहीं हुई है।


① प्रौ. वी. समुंद (संयोजक) Bhaskar

② डॉ. इन्मा ठाकुर (सदस्य) Samir

③ श्रीमती राजकुमारी गढ़पाणी (सदस्य)

④ पैमिठा म साग - (सदस्य)
छात्रा प्रतिनिधि

⑤ निशा कुंरी
छात्रा प्रतिनिधि - (सदस्य)


PRINCIPAL
Govt. Indara Kenwat
Girls' College Kanher
Distt. U. B. Nasker (C.G.)

सत्र-2019-20

अनुशासन एवं स्वस्थी रैगिंग समिति के कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय/अध्ययनशाखाओं में स्वस्थी रैगिंग के संवर्धन में यु.जी.सी. उच्चतम त्वायालय तथा दिल्ली लूड शालन द्वारा जारी निर्देशों का समुदाय से पालन किये जाने के अनुपालन में उचित अनुशासन एवं स्वस्थी रैगिंग समिति की बैठक दिनांक- 14/07/2019 को संयोजक प्रो. वी. रामुंद की अध्यक्षता एवं सहायित सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई एवं प्रस्ताव पारित किया गया। आवश्यक सुझाव दिया गया।

- 1) महाविद्यालय के पूरे परिसर में सी.सी.टी.वी. की सुविधा की प्रयास व्यवस्था हो।
- 2) अलाय वेल्स की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- 3) निम्न विरूपान शिस्त के लक्ष्य कार्यवाही सुनिश्चित करण।
- 4) स्वस्थी रैगिंग स्ववायड का गठन किया गया है।
- 5) रेगुलर इंटरमेशन एवं काउंसलिंग की सुविधा।

- 6) फलान व वनर के माध्यम से प्रचार किया जाये।
- 7) महाविद्यालय के प्राथमिक स्तर पर स्वामिदान के समथ सुधी रेगिंग के समथ सुधी रेगिंग के विस्तार से तथा बिजाय।
- 8) रेगिंग के लिए क्षेत्राकी / रजिफ पर स्वरित कार्यवाही पर 100 का प्रावधान सुनिश्चित है।
- 9) मोबाइल / स्मार्टफोन / ईमेल के माध्यम से स्वरित शिकायत की सुविधा।
- 10) महानगर सुधी रेगिंग हेल्पलाइन नं. 1800-180-5522 की वॉर्ड / दस्तावेज प्रदर्शित
- 11) वेबसाइट के माध्यम से जानकारी - www.ambikavijay.in
- 12) अपालकाकीन लिखित में समथक हेतु - महाविद्यालय का मो. नं. 9826482394 -
- 13) सुधी रेगिंग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित किया।
- 14) हेल्प डेस्क की स्थापना है।
- 15) शिकायत वारन की व्यवस्था है।

9. आज विनीत का आयोजित बैठक में अनुशासन एवं स्वच्छता से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत (बिखित या गैरव्यवस्थित) रूप से प्रस्तुत नहीं हुई है।

1) प्रौ. वी. शर्मा - (संयोजक) Sharma

2) डॉ. इमना शर्मा - (सदस्य) Sharma

3) विमली राजकुमारी गढ़पाल - (सदस्य)

4) पैमिका नेतल - (सदस्य)
छात्रा प्रतिनिधि

5) मिशा कुंरेशी - (सदस्य)
छात्रा प्रतिनिधि

Sharma
PRINCIPAL
Govt. Indira Kant
Girls College Kanher
Distt. U. E. Kanher (U.E.)

अनुशासन एवं स्त्री रेगिंग समिति के कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय अध्वयन शालाओं में स्त्री रेगिंग के संबंध में यू.जी.सी. स्त्री, उच्चतम न्यायालय तथा हेलीरगार, शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किये जाने के अनुपालन में गठित अनुशासन एवं स्त्री रेगिंग समिति की बैठक दिनांक 18/10/2020 को सशक्त प्रो. जी. सुन्द की अध्यक्षता एवं सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई एवं प्रस्ताव पारित किये गये। आवश्यक सुझाव दिये गये।

- 1) महाविद्यालय के पूरे परिसर पर शीशीटी.वी. की सुविधा की प्राप्ति व्यवस्था हो।
- 2) अल्पम लेब की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 3) निम्न रिस्पांस सिस्टम के लक्ष्य कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- 4) सुन्दर इंटरनेशन एवं काउंसिलिंग की सुविधा।

- 6) रूढ़ी रेगिगि रूढ़वायड का गठन किया गया।
- 7) मन्त्रालय रूढ़ी वनर के माध्यम से प्रचार किया गया।
- 8) महाविद्यालय के प्राध्यापक रूढ़ी रेगिगि के संघर्ष में विलार से यथा की कृपा जारु।
- 9) रेगिगि में लिखित छात्राकां / रूढ़ी पर एवरिल कापवारी पर दस का प्रलेखान लुनिश्चित है।
- 10) माकाइल / रूढ़ी रूढ़ी / ईके के माध्यम से एवरिल शिवायल की विधा
- 11) नेशनल रूढ़ी रेगिगि हेल्प लाइन न. 1800-180-5522 की जास / एलएन सहायत।
- 12) वेबलाइव की माध्यम से जानकारी प्राप्त. कर्नाटक. एम. ए. ए. -
- 13) अपालकोकीन लिखित से रूढ़ी हेल्प महाविद्यालय का मो. न. 9826482394
- 14) रूढ़ी रेगिगि से संवेद्यित जागककला कापक्रम प्रतियोगिता आयोजित की जाए हेल्प डेस्क की ल्यापना है।
- 15) शिवायत वेबल लिखितवा है।

आज दिनांक को आयोजित बैठक में अनुशासन एवं शिष्टता से संबंधित किली ली प्रकार की समस्या या शिकायत (लिखित या मौखिक) रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

- ① प्रा. वी. समुद्र - (संयोजक)
- ② डॉ. हेमभा ठाकुर - (सहाय्य)
- ③ श्रीमति राजकुमारी गढ़पाले - (सहाय्य)
- ④ पेम्बिका नैलाम - (सहाय्य)
छात्रा प्रतिनिधि
- ⑤ निशा कुरेयी - (सहाय्य)
छात्रा प्रतिनिधि